डिक्री मुकदमा इबताई (रूल्स 18–21

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीना आर0ए0एस

वाद संख्या10/2019 पुराने व 83/2019 नये नम्बर

1. साधुराम पुत्र रामनारायण
2. हरीनारायण पुत्र रामनारायण
3. रामकिशन पुत्र रामनारायण
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

बनाम

1. माल्या पुत्र भूरा
2. पूरण चन्द पुत्र नानगा
3. हनुमान पुत्र भूरा
   जाति मीणा निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ हाल आंधी
4. राज सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेशकुमार पारीक एडवोकेट वादीगण

अन्तिम डिक्री दिनांक 28.3.2023

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

अन्तिम डिक्री दिनांक 28.3.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस व हाजिर श्री महेश शर्मा , श्री राजेशकुमार पारीक एडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः **वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर** वादीगण का वाद विरूध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता ,तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जाता है कि ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ मे स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि में अतिक्रमण धुसपैठ कब्जा इत्यादि नहीं करावे तथा वादीगण के पूर्वानुसार कब्जे काश्त , कृषि कार्य सहित प्रत्येक उपभोग उपयोग मे किसी प्रकार की बांधा दखल व्यवधान इत्यादि नहीं करे ।तथा वादीगण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम निम्भी तह. जमवारामगढ मे कब्जे काश्त व उपयोग उपयोग मे दखल अन्दाज नहीं करें । वादी एवं प्रतिवादीगण एक दुसरे को कब्जे व उपभोग मे दखल अन्दाज नही करें

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत.			मुत.		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ जिला जयपुर

वाद संख्या10/2019 पुराने व 83/2019 नये नम्बर

1 साधुराम पुत्र रामनारायण
2 हरीनारायण पुत्र रामनारायण
3 रामकिशन पुत्र रामनारायण
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ़

वादीगण

बनाम

1 माल्या पुत्र भूरा
2 पूरण चन्द पुत्र नानगा
3 हनुमान पुत्र भूरा
जाति मीणा निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ़ हाल आंधी
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़

प्रतिवादीगण

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थित :-

3. श्री राजेशकुमार पारीक एडवोकेट वादीगण
4 श्री महेश शर्मा —एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 28.3.2023

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील वादीगण ने वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ़ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.9100 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे मालिकाना स्वामित्व अनुसार स्थित है। उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी दिनांक 6.6.2018 को करवाई जाकर उक्त खसरा नम्बर के चारो ओर तारफैंसिंग कर लिया लेकिन बाद मे प्रतिवादीगण आये दिन नाजायज प्रवेश करने की कोशिश करते है । जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का उक्त आराजी पर कोई संबंध सरोकार नही है तथा उक्त भूमि पर निर्माण करने पर आमादा है । अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 डिकी किया जाकर ग्राम निम्भी पटवार मण्डल बासना मे स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.9100 हैक्टेयर यह कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी भूमि मे किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, अनाधिकृत प्रवेश नही करे एवं उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे दखल नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रकरण दर्ज रजि. कर प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 डाक तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की और से श्री महेश शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 19.9.2019 को यूटी दी जिसको 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु आज तक वकालतनामा पेश नही किया ना ही इनकी तरफ से जवाब दावा पेश किया अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 विरूध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है । वकील वादी की बहस सुनी गई , पत्रावली मे अंकित तथ्यो व दस्तावेजो का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः वादीगण का वाद विरूध पतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ़ मे स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.9100 हैक्टेयर में अंतिकमण धुसपैठ कब्जा इत्यादि नही करावे तथा वादीगण के पूर्वानुसार कब्जे काश्त , कृषि कार्य सहित प्रत्येक उपभोग उपयोग मे किसी प्रकार की बाधा दखल व्यवधान इत्यादि नही करे ।तथा वादीगण, प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि मे कब्जा काश्त व उपयोग उपयोग मे दखल अन्दाज नहीं करे । वादी एवं प्रतिवादीगण एक दुसरे को कब्जा व उपभोग मे दखल अन्दाज नही करें

निर्णय खुले इजलाश में आज दिनांक 28.3.2023 को सुनाया गया

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ़